तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28/8/25	प्रचावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 29/8/25 को पेश हो।	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित वादी का वाद पत्र मुताबिक कुर्क रिपोर्ट आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर, उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 38/2020

1. सोरनसिंह पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।

...................वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह
2. जोगेन्द्रसिंह
3. सतीश
4. वीरेन्द्र सिंह समस्त पुत्रान रायसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।
5. अतुल पत्नि धर्मवीर जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।

.............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः–29.08.2025

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 557/5.11बीघा बाके ग्राम नगला बीजा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी को मुझ वादी ने सन् 2016 में प्रतिवादी संख्या 4 जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 का सगा भाई है से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया तथा वक्त कय प्रतिवादीगण ने मुझ वादी को खसरा नम्बर संख्या दो दिये थे तथा उन्हीं किता दो पर मैं आज तक शान्तिपूर्वक कास्त करता चला आ रहा हूं। हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अरसा करीब 4 वर्ष पूर्व वक्त कय ही मनवट के आधार पर विभाजन हो गया था तथा वक्त मनबट विभाजन सभी सहखातेदारान ने मुझ वादी को खसरा नम्बर 557/5–11 एवं खसरा नम्बर 68/0.18 विस्वा में से 0.9विस्वा आराजी दी थी जिसे मुझ वादी ने समतल करा एवं खाद पानी की उचित व्यवस्था कर उक्त अपनी आराजी हिस्सा को कीमती एवं उपजाउ बना लिया था आज उक्त उपजाउ हिस्से को देखकर प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है एवं जबरन लठ्ठ के दम पर हटपना चाहते है। दिनांक 21.09.2020 को जब वादी अपनी खडी फसल की देखभाल करा रहा था तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये एवं पूर्व हुये मनबट विभाजन को मानने से इन्कार कर दिया एवं मुझ वादी को मेरे हिस्से से बेदखल कर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

बबरन कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण वादी ने यह वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 की ओर से श्री लखन लाल एडवोकेट हाजिर हुये। दिनांक 24.05. 2022 को वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के द्वारा राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा दिनांक 12.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र दावा को डिकी किये जाने हेतु पेश किया गया। वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 4 एवं 6 लगा0 13 एवं खसरा नम्बर 557 को छोडकर शेष सभी खसरा नम्बरान को दावे से एवेट किये जाने हेतु पेश किया जो दिनांक 26.12.2024 को स्वीकार किया गया। अभीभाषक वादी के द्वारा संशाधित वाद पत्र पेश किया गया। दिनांक 21.02.2025 को वादपत्र राजीनामा के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक 09.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

अभीभाषक वादी ने उक्त प्रकरण को मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार उच्चैन से निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है।

कुरा नम्बर 1.:– अतुल पत्नि धर्मवीर हि0 13/71, जोगेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, सतीश पि0 रायसिंह हि0 58/71 जाति जाट सा0 देह खातेदार हि0 राजेन्द्र सिंह राहिन एसबीआई उच्चैन हि0 सतीश राहिन पीएनबी उच्चैन खसरा नम्बर 595/1 रकवा 0.71 किस्म चाही तृतीय।

कुरा नम्बर 2.:– सोरनसिंह पुत्र जलसिंह जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा उच्चैन खसरा नम्बर 595/2 रकवा 0.19 किस्म चाही तृतीय।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादी के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताब का अवलोकन किया गया। वादी का बादपत्र मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिकी किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादी मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिकी किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुरे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे, कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिकी का जुज रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

कौरन बनाम नाथेन्द्र सिंह वगैरह

दावा बावत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 38/2020 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू रूबरू

व हाजरी श्री चमेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के पृथक – पृथक खाते संधारित करेंगे, व – राजस्व निर्धारित करेंगे। कुर्रे रिपोर्ट एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।

आज मुबलिग बाबत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 08 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत Bharti

ओहदा सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर..........		
महनताना वकील	)पर..........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 38/2020

1. सोरनसिंह पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।

....................वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह
2. जोगेन्द्रसिंह
3. सतीश
4. वीरेन्द्र सिंह समस्त पुत्रान रायसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।
5. अतुल पत्नि धर्मवीर जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।

..............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner